15.01.21	विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली पर उभय पक्षों को प्राथमिक आपत्ति पर सुना गया। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्राथमिक आपत्ति पर बहस करते हुए कथन किया अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील कानून बाधित होने से काबिल खारिज है। इस संबंध में अभिभाषक प्रार्थी द्वारा न्यायालय का ध्यान इस तथ्य पर आकर्षित करवाया गया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील न्यायालय हाजा के निर्णय व डिक्री दिनांक 19–12–2019 जिसके माध्यम से परीक्षण न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी की गई तथा उक्त आदेश के अनुसरण में दिनांक 20–03–2020 को फाईनल डिक्री जारी की गई है। अपीलांट उक्त आदेशों से किस प्रकार से व्यथित है, प्रस्तुत अपील में इस आश्य का कहीं अंकन नहीं है। प्रकरण में अपीलांट् स्वयं जरिये अधिवक्ता अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित आये थे, तथा उनके द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वादग्रस्त भूमि के बाबत् बाई मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स विभाजन में अपनी सहमति प्रदान की गई थी। जिसका अंकन स्पष्ट रूप से अपीलाधीन आदेश में है। इसी स्थिति में अपीलांट् अब अपील के स्तर पर अपने कथनों का खण्डन नहीं कर सकते है। प्रकरण में अपीलांट् अदालत मातहत के समक्ष निरन्तर उपस्थित आते रहे है तथा उन्हें अपीलाधीन आदेश की पूर्ण जानकारी थी। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील की पूर्ण पालना करते हुए मौके पर सभी पक्षकारों को उनके कब्जे काश्त व धारण की भूमि के अनुसार विभाजन किया जा चुका है तथा उसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में भी अंकन हो चुका है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत के आदेशों की पूर्ण पालना हो चुकी है। ऐसी स्थिति में जब अपीलांट् स्वयं अदालत मातहत के समक्ष मौजूद थे तथा उनके द्वारा वादग्रस्त भूमि के विभाजन पर अपनी सहमति व्यक्त की जा चुकी है। लिहाजा अपीलांट् स्वयं अपने कथनों से बाधित है। अतः अपीलांट् की अपील इसी बिन्दु पर खारिज योग्य है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट् द्वारा आगे कथन किया कि अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत अपील मात्र कयासों व अनुमान (surmises and conjectures) के आधार पर प्रस्तुत की गई । इस संबंध में विद्वान अभिभाषक प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट द्वारा कथन किया कि अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत अपील में यह कहीं उल्लेख नहीं किया गया है कि वे अदालत मातहत के आदेशों से किस प्रकार व्यथित है। अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत अपील में यह कहीं उल्लेख नहीं किया गया है कि आदेश जैर अपील के माध्यम से उनके अधिकारों व हक व हकूकों का किस प्रकार हनन हुआ है। प्रस्तुत अपील के किसी भी पैराज में यह अंकन नहीं है कि वादग्रस्त भूमि उनके कब्जे काश्त/उनके धारण की भूमि को किसी प्रकार से कम या ज्यादा किया गया है अथवा आदेश जैर अपील

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.02.01 15:53:14 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

पारित करने से पूर्व विभाजन के आज्ञापक प्रावधानों अर्थात बाई मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स विभाजन नहीं किया गया है। अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत अपील स्पष्ट रूप से कयासों के आधार पर प्रस्तुत किया जाना साबित है। प्रकरण में अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत अपील में वादग्रस्त भूमि के बाबत् पक्षकारों के अधिकारों व हक हकूकों के हनन के संबंध में किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं किया गया है वरन् प्रस्तुत अपील में केवल मात्र अदालत मातहत के द्वारा की गई कार्यवाहियों का उल्लेख करते हुए मात्र तकनीकी बिन्दुओं को आधार बनाते हुए अपीलाधीन आदेश निरस्त करवाने की चेष्टा की गई है। जिसकी कानून कतई अनुमति प्रदान नहीं करता है। अपीलांट प्रस्तुत अपील के माध्यम से यह साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है कि वे आदेश जैर अपील से किस प्रकार प्रभावित है ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील स्पष्ट कथनों के अभाव में खारिज योग्य है।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में आगे कथन किया कि अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की लोकस स्टेण्डाई प्राप्त नहीं है क्योंकि अपीलांट् अदालत मातहत के समक्ष जरिये अधिवक्ता उपस्थित आते रहे है तथा उनके द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में अपनी सहमति व्यक्त की गई है। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा सिविल प्रकिया संहिता की धारा 96 सबक्लॉज 3 की तरफ न्यायालय का न्यायालय का ध्यान आकर्षित करते हुए कथन किया कि उक्त नियम में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि पक्षकारों की सहमति से जो डिकी न्यायालय ने पारित की गई उसकी कोई अपील नहीं होगी। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश की अपील कानून के उक्त प्रावधान के तहत स्पष्ट रूप से बाधित है। लिहाजा अपीलांट की अपील उक्त नियम के तहत बाधित होने के कारण इसी स्तर पर खारिज योग्य है।

प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व दावे व विभाजन के आज्ञापक प्रावधान यथा तनकीयात् कायम करना, निर्णय में तनकीवार विवेचन करना, साक्ष्य व बहस ... करना व तदनुसार विभाजन के ... मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स प्रस्ताव तैयार कर ... की गई है ... अपीलांट अदालत मातहत की कार्यवाहियों के दौरान अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित आते रहे है तथा उनके द्वारा विभाजन व अ... हक व हकूकों के संबंध में अपनी सहमति प्रदान की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट् प्रस्तुत अपील के माध्यम से अपीलाधीन आदेश के किस भाग से व्यथित है, साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है। इस संबंध में रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल पार्ट II नियम 29 की उल्लेख करते हुए कथन

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.02.01 15:53:14 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर
सत्यमेव जयते

किया कि:–

Every memorandum of appeal or application for review shall state - the grounds of objections on such orders.,

प्रकरण में अपीलांट् द्वारा अपने अपील मीमों में यह कहीं अंकन नहीं किया है कि वे अपीलाधीन आदेश के किस भाग से व्यथित है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल के प्रावधानों के विपरीत होने से काबिल खारिज है। इसी क्रम में विद्वान अभिभाषक प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट द्वारा न्यायालय का ध्यान इस और भी आकर्षित करवाया कि प्रकरण में अपीलाधीन आदेश के विरूद्व परीक्षण न्यायालय के समक्ष उपस्थित आकर नजरसानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए स्थगन प्राप्त किया जा चुका है तथा उसी आदेश की अपील न्यायालय हाजा के समक्ष भी प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट् अथवा अन्य सहखातेदार द्वारा एक ही आदेश के विरूद्व दो भिन्न–भिन्न न्यायालयों में चाराजोई करते हुए न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया गया है। जिसकी कानून कतई अनुमति प्रदान नहीं करना ना ही अपीलांट् दो भिन्न–भिन्न न्यायालयों के अलग–अलग आदेश प्राप्त करने के अधिकारी है। इस प्रकार अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत अपील कानून बाधित होने, स्वयं के कथनों से बाधित होने से काबिल खारिज अपील है। अतः प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट् की प्राथमिक आपत्ति स्वीकार करते हुए अपीलांट् की अपील इसी स्तर पर खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा अपनी बहस में कथन किया प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति मात्र प्रकरण में अनावश्यक पेचिदगियॉ उत्पन्न करने व न्यायालय का ध्यान प्रकरण के गुणावगुण पर से हटाने के उद्वेश्य मात्र से प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि अपीलांट्स/रेस्पोडेन्ट्स के मध्य वादग्रस्त भूमि को लेकर लम्बे समय से विवाद न्यायालय में जैरकार रहा है तथा सभी पक्षकार वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार है। ऐसी स्थिति में अपीलांट् भी वादग्रस्त भूमि के सह खातेदार है, अपीलाधीन आदेश से व्यथित होने के आधार पर ही अपीलांट् द्वारा यह अपील के माध्यम से प्रस्तुत हुए हैं। अदालत मातहत द्वारा वादग्रस्त भूमि को लेकर पारित प्राथमिक डिक्री व फाईनल डिक्री में स्पष्ट रूप से अपीलांट् के विधिक अधिकारों की अनदेखी की गई है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अदालत मातहत द्वारा पक्षकारों के धारण की भूमि, कब्जे काश्त की भूमि व रास्ते की भूमि का कोई ध्यान रखा गया है ना ही अदालत मामतहत

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.02.01 15:53:14 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर
राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में निहित विभाजन के आज्ञापक प्रावधानों का ही ध्यान रखा गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट् के पास प्रस्तुत अपील के माध्यम से अपने अधिकारों की सुरक्षा करने के अलावा अन्य को विकल्प शेष नहीं रह जाने के कारण अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अपने विधिक अधिकारों के संरक्षण की इस्तदुआ की गई है। प्रकरण में सभी सह खातेदारों के हक व हकूकों का निर्धारण अपील में गुणावगुण बहस होने के उपरान्त ही तय होना है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट् द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति का अपील के इस स्तर पर कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा अपनी बहस में आगे कथन किया गया कि अदालत मातहत के समक्ष प्रकरण पक्षकारों के जवाब हेतु जैरकार चल रहा था तथा दिनांक 16–07–2015 को प्रतिवादी संख्या 10 के फौत होने पर उनके जायज वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने का उल्लेख आदेशिका में अंकित है, तथा उसके पश्चात् से पत्रावली निरन्तर प्रतिवादी संख्या 10 के वारिसान की तलबी व अन्य पक्षकारों के जवाब हेतु जैरकार चल रही थी। तत्तश्चात् अदालत मातहत द्वारा न तो प्रतिवादी संख्या 10 के वारिसान की तलबी पूर्ण की गई ना ही अन्य सह खातेदार/प्रतिवादीगण का कोई जवाब ही प्राप्त किया तथा दिनांक 14–11–2019 को प्रतिवादी संख्या 10 के वारिसान को पक्षकार बनाते हुए पत्रावली को बहस हेतु निर्धारित कर दिया गया। जबकि प्रकरण जवाब के स्तर पर जैरकार चल रहा था। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत के समक्ष ऐसी क्या परिस्थितियॉं उत्पन्न हुई कि उनके द्वारा अन्य पक्षकारों की सहमति अंकित करते हुए आनन–फानन में आदेश जैर अपील पारित करते हुए अपीलांट् के विधिक अधिकारों का हनन किया गया। अदालत मातहत का उक्त कृत्य स्पष्ट रूप से कानून के प्रावधानों के विपरीत है। जिसकी कानून कतई अनुमति प्रदान नहीं करता है। किसी भी प्रकरण का निस्तारण इस तथ्य पर नहीं किया जा सकता कि वह लम्बे समय से जैरकार रहा है। अपीलांट द्वारा कभी भी वादग्रस्त भूमि के विभाजन की सहमति प्रदान नहीं की गई है। अदालत मातहत अपीलांट की सहमति प्राप्त किये बिना ही इस [illegible] आधार बनाते हुए एकतरफा तौर पर डिक्री पारित की गई है जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट का यह कथन कि अपीलांट सीपीसी की धारा 96 व रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल के तहत कानूनन बाधित होने से अपील खारिज योग्य है, स्वीकार योग्य कथन नहीं है। अपीलांट वादग्रस्त भूमि के सह खातेदार है। अपीलांट् द्वारा अपनी अपील में वे समस्त आधार अंकित किये गये है जिससे यह साबित

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.02.01 15:53:14 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

होता है कि अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट् के विधिक अधिकारों की अनदेखी की गई है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि किसी भी पक्षकार के विरूद्व आदेश पारित करने से पूर्व उसे सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है। अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में मात्र औपचारिकता पूर्ण करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। जिसकी ताईद इस तथ्य से होती है कि विभाजन के प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु संबंधित तहसीलदार स्वयं को मौके पर उपस्थित होकर सभी पक्षकारों की मौजूदगी में प्रस्ताव तैयार करवाने होते है। जबकि प्रकरण में संबंधित पटवारी द्वारा विभाजन के प्रस्ताव तैयार करते हुए दिनांक 20–03–2020 को अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किये गये तथा अदालत मातहत द्वारा उसी दिन बिना अधिवक्ताओं व पक्षकारों की उपस्थिति के मात्र पटवारी द्वारा प्रेषित किये गये प्रस्ताव को आधार बनाते हुए उसी दिन अर्थात दिनांक 20–03–2020 को ही विभाजन की फाईनल डिक्री जारी की गई है। जबकि विधिक प्रावधानों के अनुसार फाईनल डिक्री जारी करने से पूर्व पक्षकारों से प्राप्त आपत्तियों पर सुनवाई का अवसर दिया जाकर व प्राप्त आपित्तयों का निस्तारण किये जाने के उपरान्त ही फाईनल डिक्री जारी किये जाने के प्रावधान निहित है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा मात्र वादीगण को बेजा फायदा पहुॅचानें की नियत मात्र से आदेश जैर अपील पारित किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। अपीलांट् द्वारा अपने विधिक अधिकारों के संरक्षण हेतु ही न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है जिसकी कानून अनुमति प्रदान करता है, ना ही अपीलांट को उक्त प्राथमिक आपत्ति के आधार पर उसके विधिक अधिकारों से वंचित किया जा सकता है।

प्रकरण में जहॉ तक विद्वान अभिभाषक प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट का कथन कि अपीलाधीन आदेश के विरूद्व अदालत मातहत के समक्ष भी रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा है, इस संबंध में अपीलांट्/अप्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि अदालत मातहत के समक्ष अपीलांट्/अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, यदि अन्य किसी पक्षकार द्वारा अदालत मातहत [illegible] रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तो उसके लिए अपीलांट किसी प्रकार का जिम्मेवार नहीं है। [illegible]/रेस्पोडेन्ट की इस आपत्ति का भी कोई [illegible] नहीं है। प्रकरण में तमाम तथ्यों को दृष्टिगत् रखते हुए प्रथम दृष्टया ही यह साबित है कि वादग्रस्त भूमि के बाबत् विभाजन की प्राथमिक व फाईनल डिक्री पारित करते हुए अदालत मातहत द्वारा घोर अनियमितता बरती गई है तथा अपीलांट् के विधिक अधिकारों का स्पष्ट रूप से हनन किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट् प्रस्तुत अपील

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.02.01 15:53:14 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

के माध्यम से अपने अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय की शरण में आये है। जिसे मात्र प्राथमिक आपत्ति के स्तर पर समाप्त नहीं किया जा सकता है। प्रकरण में तमाम तथ्यों का निर्धारण अपील में गुणावगुण पर तय होना शेष है। प्रस्तुत अपील में शेष रहे रेस्पोडेन्ट्स की तलबी हेतु अखबार साया किया जा चुका है तथा प्रकरण में किसी भी प्रकार के निर्णय से पूर्व अन्य पक्षकारों को भी सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किया जाना अपरिहार्य है। ऐसीस्थिति में प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट की प्राथमिक आपत्ति खारिज फरमाई जाकर प्रकरण को गुणावगुण बहस हेतु निर्धारित किया जावे।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्षों को सुना गया तथा प्रस्तुत अपील व अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व अपीलाधीन आदेशों का अवलोकन किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट् द्वारा वादग्रस्त भूमि ग्राम भेलू के खेत खसरा नम्बर 139 रकबा 16.55 हेक्टर, खसरा नम्बर 140 रकबा 13.58 हेक्टर, खसरा नम्बर 143 रकबा 60.15 हेक्टर, खसरा नम्बर 162 रकबा 39.05 हेक्टर, खसरा नम्बर 164 रकबा 40.06 हेक्टर, खसरा नम्बर 167 रकबा 9.27 हेक्टर, खसरा नम्बर 268 रकबा 25.20 हेक्टर, खसरा नम्बर 304 रकबा 28.98 हेक्टर, खसरा नम्बर 330 रकबा 9.01 हेक्टर, खसरा नम्बर 366 रकबा 31.86 हेक्टर, खसरा नम्बर 367 रकबा 30.31 हेक्टर, खसरा नम्बर 475 रकबा 29.90 हेक्टर, खसरा नम्बर 491 रकबा 18.89 हेक्टर तथा खसरा नम्बर 475 रकबा 29.90 हेक्टर, खसरा नम्बर 491 रकबा 18.89 हेक्टर एवं खसरा नम्बर 502 रकबा 21.98 हेक्टर कुल किता 14 रकबा 374.79 हेक्टर भूमि के बाबत् अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत वादपत्र में दिनांक 19–12–2019 को पारित प्राथमिक डिक्री व दिनांक 20–03–2020 को पारित फाईनल डिक्री से व्यथित होने पर प्रस्तुत अपील न्यायालय हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। उक्त अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित आते हुए दिनांक 06–01–2021 को प्राथमिक आपत्ति प्रस्तुत करते हुए अपील को इसी स्तर पर खारिज करने की प्रार्थना की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.02.01 15:53:14 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि वादग्रस्त भूमि एक सामलाती खातेदारी कृषि भूमि है। जिसके खातेदारी अधिकारों की घोषणा के साथ विभाजन का वादपत्र अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट् द्वारा प्राथमिक आपत्ति प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि अपील अपीलांट कानून बाधित होने से खारिज योग्य है तथा कथन किया अपीलांट् जोकि प्रस्तुत अपील के माध्यम से

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थित आये है, उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि की धोषणा, दुरूस्ती व विभाजन हेतु अपनी सहमति प्रदान की गई थी, ऐसी स्थिति में वे अब इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है तथा अपने कथनों से बाधित है। जिसका खण्डन अपीलांट् द्वारा दौराने बहस किया गया। इस संबंध में हमने सर्वप्रथम अदालत मातहत की आदेशिकाओं का अवलोकन किया। **प्रकरण में अपीलांट जोकि अदालत मातहत के समक्ष बतौर प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 10, 25, 28 व 29 स्थापित थे तथा वे दिनांक 25–10–2004 को जरिये वकालतन उपस्थित आये तथा दिनांक 03–10–2005 को उनके द्वारा जवाबदावा व फेहरिस्त दस्तावेज के साथ प्रस्तुत किया गया** तथा उसी अनुरूप अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष जैरकार वादपत्र में तनकीयात कायम की गई। तत्पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1 के फौत होने पर दिनांक 15–07–2009 के उसके वारिसान को रिकार्ड पर लेते हुए बतौर प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/7 संयोजित करने के आदेश प्रदान किये गये। दिनांक 14–07–2010 को प्रतिवादी संख्या 1/1 व 1/2 न्यायालय हाजा के समक्ष जरिये वकालतन उपस्थित आये, इस प्रकार न्यायालय हाजा के समक्ष अपील के माध्यम से प्रस्तुत समस्त अपीलांट् बतौर प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित आ चुके थे। तत्पश्चात् न्यायालय हाजा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश जिसके माध्यम से वादग्रस्त भूमि के बाबत् दिनांक 19–12–2019 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी, का अवलोकन किया गया, उक्त आदेश के पृष्ठ संख्या 6 के पैरा संख्या प्रथम के अंतिम में यह स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि:–

"प्रतिवादीगण के अधिवक्तागण साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहते एवं मुताबिक दावा फैसला करने का निवेदन किया।"

अदालत मातहत द्वारा इसी अनुरूप उपस्थित पक्षकारों अर्थात **वादीगण एवं प्रतिवादीगण जोकि न्यायालय हाजा के समक्ष बतौर अपीलांट प्रस्तुत हुए है, कि सहमति से व [illegible] स्तावेजों के अनुसरण में वादपत्र [illegible] करते हुए घोषणात्मक [illegible] जारी कर रिकार्ड में [illegible] अभिभाषक प्रतिवादीगण ने भी उक्त अनु[illegible]र डिक्री जारी करने का निवेदन किया., अभिलिखित करते हुए पारित किया गया है। प्रकरण में अदालत मातहत के समक्ष बतौर प्रतिवादीगण उपस्थित आये व आदेश जैर अपील पारित करने में अपनी सहमति प्रदान करने के उपरान्त वादग्रस्त भूमि को लेकर**

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.02.01 15:53:14 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

विभाजन की प्राथमिक/फाईनल डिक्री जारी की गई है, उन्हीं प्रतिवादीगणों के द्वारा बतौर अपीलांट् न्यायालय के समक्ष उपस्थित आकर अपील प्रस्तुत करते हुए उक्त डिक्री को निरस्त करने का निवेदन किया गया है। जिसकी आपत्ति प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट द्वारा की गई है। उल्लेखनीय है कि अन्य प्रतिवादीगणों द्वारा न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन आदेश की कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है।

इस संबंध में विद्वान अभिभाषक प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत विधिक प्रावधान सिविल प्रक्रिया संहिता भाग 7 अपीलें (मूल डिक्री की अपीलें) धारा 96 का भी अवलोकन किया गया। जिसमें स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि:–

The Code of Civil Provedure, 1908 Sec., 96 (3) No appeal shall lie from a decree passed by the Court with the consent of parties.

इसी प्रकार टिप्पणी **Secs. 96 (3), 2(2) - Decree on Compromise - Appeal against decree of compromise - maintainability of appeal - Appeal not maintainable.,**

प्रकरण में यह तथ्य बतौर सबूत साबित है कि अपीलांट् जोकि अदालत मातहत के समक्ष बतौर प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 26 व 29 उपस्थित थे तथा उनके अधिवक्ता द्वारा आदेश जैर अपील अर्थात वादग्रस्त भूमि के बाबत् धोषणा, दुरूस्ती व विभाजन की स्वीकृति/सहमति प्रदान की गई थी, वे ही अपील के माध्यम से न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत आये है। चूंकि प्रकरण में अपीलांट् द्वारा अपनी सहमति अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत की जा चुकी है तथा उनकी सहमति के उपरान्त ही अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलांट् स्वयं अपने कथनों एवं उपरोक्त कानून के प्रतिपादित सिद्वान्तों से बाधित है।

प्रकरण में हमने अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत अपील का भी अवलोकन किया। प्रकरण में अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत अपील में केवल मात्र अदालत मातहत द्वारा की प्रक्रियात्मक गलती को चिन्हित/अंकित करते हुए अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलांट् प्रस्तुत अपील के माध्यम से यह साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है कि अपीलाधीन आदेश के माध्यम से वादग्रस्त भूमि को लेकर उनके हक–हकूकों, उनके धारण की भूमि, उनके कब्जे काश्त की भूमि व उनके अधिकारों का किस प्रकार से हनन किया गया। उक्त तथ्य का अंकन

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.02.01 15:53:14 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपीलांट् की अपील के किसी भी पैराज में नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में केवल मात्र तकनीकी बिन्दुओं को आधार बनाकर अपील प्रस्तुत किये जाने का कोई औचित्य प्रथम दृष्टया प्रतीत नहीं होता है। विभाजन के मामलों में यह स्पष्ट रूप से देखा जाता है कि पक्षकारों के धारण की भूमि को कम या ज्यादा किया गया अथवा नहीं? एक दूसरे के कब्जे काश्त व धारण की भूमि ध्यान रखा गया है अथवा नहीं? ऐसा कोई भी बिन्दु/तथ्य अपीलांट द्वारा अपनी अपील में नहीं उठाया गया है। जिससे प्रतीत होता है कि उन्हें वादग्रस्त भूमि के विभाजन को लेकर किसी प्रकार की कोई आपत्ति रही हो। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट द्वारा न्यायालय का ध्यान रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल पार्ट II का भी अवलोकन किया। रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल, 1956 पार्ट II नियम 29 में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि:–

Contents of Memorandum of appeal or application for review or revision - Every memorandum of appeal or application for review shall state -

(f) the grounds of objections on such orders.,

ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील उपरोक्त कानून के सिद्वान्त के मद्देनजर भी बाधित होने से प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट की उपरोक्त आपत्ति कि अपील अपीलांट कयास, अनुमान **(Surmises and conjectures)** पर आधारित होना प्रथम दृष्टया साबित होती है।

प्रकरण में दौराने बहस प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट द्वारा कथन किया कि प्रतिवादीगण संख्या 25 कानसिंह द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 19–12–2019 व 20–03–2020 के विरूद्व नजरसानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए स्थगन प्राप्त किया जा चुका है। इस प्रकार अपीलांट/प्रतिवादीगण व अन्य प्रतिवादी द्वारा एक ही आदेश के विरूद्व भिन्न–भिन्न न्यायालयों में चाराजोई करते हुए आदेश प्राप्त करने की चेष्टा की गई है। जिसकी कानून अनुमति प्रदान नहीं करता है। इस संबंध में हमने अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत वादपत्र व आदेशिकाओं का अवलोकन किया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 25 कानसिंह न्यायालय हाजा के समक्ष जरिये अधिवक्ता उपस्थित आ चुके था, उनके व अन्य प्रतिवादीगण जोकि बतौर अपीलांट न्यायालय के समक्ष उपस्थित आये है, उनके द्वारा अदालत मातहत के समक्ष अपनी सहमति प्रदान किये जाने पर ही अदालत

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.02.01 15:53:14 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर
राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 19–12–2019 जिसके माध्यम से वादाधीन भूमि को बाबत् प्राथमिक डिक्री व आदेश दिनांक 20–03–2020 के माध्यम से फाईनल डिक्री जारी की गई थी, कि अपीलें व नजरसानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए भिन्न–भिन्न न्यायालयों से पृथक–पृथक आदेश प्राप्त करने की चेष्टा की गई है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित प्रतिवादीगण/अपीलांट का उक्त कृत्य स्वयं उन्हें संदेह के घेरे में लाता है।

प्रकरण में अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत अपील में यह कहीं भी अभिलिखित नहीं है कि अपीलाधीन आदेश के माध्यम से किस प्रकार से उनके विधिक अधिकारों अर्थात उनके धारण की भूमि को कम या ज्यादा अथवा उनके कब्जे काश्त की भूमि व उनके धारण की भूमि का ध्यान नहीं रखा गया है तथा अपीलाधीन आदेश के माध्यम से वादग्रस्त भूमि को लेकर उनके अधिकारों का किस प्रकार से हनन किया गया। उक्त तथ्य का अंकन अपीलांट् की अपील में कहीं नहीं किया गया है। अपीलांट द्वारा मात्र तकनीकी बिन्दुओं को आधार बनाते हुए अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में केवल मात्र तकनीकी बिन्दुओं को आधार बनाकर अपील प्रस्तुत किये जाने का कोई औचित्य प्रथम दृष्टया प्रतीत नहीं होता है।

प्रस्तुत प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद साबित है कि अपीलांट अदालत मातहत के समक्ष जरिये वकालतन वर्ष 2010 से निरन्तर उपस्थित आते रहे है तथा उनके अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते समय वादग्रस्त भूमि के बाबत् धोषणा व विभाजन पर अपनी सहमति प्रदान की गई थी तथा उसी सहमति से अनुरूप ही परीक्षण न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील पारित करते हुए धोषणात्मक, दुरूस्ती व बंटवारें की डिक्री जारी करते हुए रिकार्ड में अंकन के आदेश प्रदान किये गये है। लिहाजा अपीलांट स्वयं अपने कथनों व कानून के उपरोक्त वर्णित प्रतिपादित सिद्वान्तों के तहत बाधित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट की प्राथमिक आपत्ति प्रस्तुत कानूनों को ध्यान में रखते हुए स्वीकार की जाकर अपीलांट् की अपील इसी स्तर पर खारिज फरमाई जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर ... शामील व तक्मील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.02.01 15:53:14 IST
Reason: SelfAttested

(... सत्यानी)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते